

तहसील भगवानपुर अन्तर्गत स्थित प्रमुख मार्गों की दरें

क्र० सं०	श्रेणी	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	राजस्व ग्राम/मौहल्लों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
				कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	क	देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग	1-मकखनपुर महमूद आलम	-	17500	15500	33000	91000	78000	14000	12000
			2-शाहपुर मुस्तहकम	-	17500	15500	33000	91000	78000	14000	12000
			3-भगवानपुर मुस्तहकम	-	17500	15500	33000	91000	78000	14000	12000
		भगवानपुर-गागलहेडी मार्ग	4-शाहपुर मुस्तहकम (नगर पंचायत के बाहर)	350	17500	15500	33000	91000	78000	14000	12000
		भगवानपुर-चुडियाला मार्ग	5-शाहपुर मुस्तहकम (नगर पंचायत के बाहर)	350	17500	15500	33000	91000	78000	14000	12000
2	ख	देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग	1-कांजीबास मुस्तहकम	350	12000	9500	27000	68000	58000	14000	12000
			2-मंडावर	350	12000	9500	27000	68000	58000	14000	12000
			3-चौल्ली शाहबुददीनपुर मुस्तहकम	350	12000	9500	27000	68000	58000	14000	12000
			4-लकेशरी	350	12000	9500	27000	68000	58000	14000	12000
			5-लतीफपुर खुब्बनपुर	350	12000	9500	27000	68000	58000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	श्रेणी	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	राजस्व ग्राम/मौहल्लों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
				कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ख	देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग	6-सिकन्दरपुर भैंसवाल	350	12000	9500	27000	68000	58000	14000	12000
			7-रायपुर	350	12000	9500	27000	68000	58000	14000	12000
			8-खानपुर	-	12000	9500	27000	68000	58000	14000	12000
3	ग	देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग	1-मुर्करमपुर उर्फ कालेवाला	300	10000	8000	25800	65000	55000	14000	12000
			2-अलावलपुर	300	10000	8000	25800	65000	55000	14000	12000
			3-लोदीवाला व औरंगजेबपुर तहसील सीमा की समाप्ति तक	300	10000	8000	25800	65000	55000	14000	12000
4	घ	भगवानपुर—गागलहेडी मार्ग	1-मकखनपुर महमूद आलम मुस्तहकम	210	12000	10500	27500	65000	55000	14000	12000
5	ड	भगवानपुर—गागलहेडी मार्ग	1-रायपुर व सिकन्दरपुर भैंसवाल	210	13000	10500	27000	65000	55000	14000	12000
6	च	भगवानपुर—चुडियाला मार्ग	1-खेलपुर नसरुल्लापुर	210	8000	7000	22500	55000	50000	14000	12000
		भगवानपुर—सिकरोढा मार्ग	2-शाहपुर जदीद मुस्तहकम	210	8000	7000	22500	55000	50000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	श्रेणी	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	राजस्व ग्राम/मौहल्लों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
				कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	च	भगवानपुर— बहादराबाद हरिद्वार मार्ग	3-भगवानपुर जदीद मुस्तहकम	210	8000	7000	22500	55000	50000	14000	12000
7	छ	बिहारीगढ— बुग्गावाला हरिद्वार मार्ग	1-फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, नौकराग्रन्ट से आगे नदी पार लालवाला मजबता	180	6000	5500	21000	55000	50000	14000	12000
		पुहाना इकबालपुर— गुरुकुल नारसन मार्ग	2-बेहडेकी सैदाबाद, अमरपुर काजी, हरचन्दपुर माजरा, खजूरी सीमा समाप्ति तक	180	6000	5500	21000	55000	50000	14000	12000
		भगवानपुर— बहादराबाद हरिद्वार मार्ग	3-बहावपुर छांगामजरी से कलालहटी, हकीमपुर तुरा होते हुए दरियापुर दयालपुर तहसील की सीमा तक	180	6000	5500	21000	55000	50000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	श्रेणी	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	राजस्व ग्राम/मौहल्लों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
				कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	छ	भगवानपुर—चुडियाला मार्ग	4-तेज्जूपुर	180	6000	5500	21000	55000	50000	14000	12000
8	ज	भगवानपुर—चुडियाला मार्ग	1-फक्करहेडी से भलस्वागाज होते हुए मानकपुर आदमपुर सीमा समाप्ति	140	5000	4200	20500	46500	42000	14000	12000
8	ज	कलियर—बिहारीगढ मार्ग	2-झिडियान ग्रन्ट से लामग्रन्ट होते हुए मजाहिदपुर सत्तीवाला खालसा, लालवाला खालसा सीमा समाप्ति तक	140	5000	4200	20500	46500	42000	14000	12000
		बिहारीगढ—बुग्गावाला हरिद्वार मार्ग	3-मजाहिदपुर सतीवाला मजबता	140	5000	4200	20500	46500	42000	14000	12000
9	झ	भगवानपुर—गागलहेडी मार्ग	1-बढेडी बुजुर्ग	100	4000	3500	20000	46500	42000	14000	12000
		भगवानपुर—चुडियाला मार्ग	2-शेरपुर से चुडियाला मोहनपुर, महेश्वरी होते हुए बिनारसी उर्फ बुलेड सीमा समाप्ति तक	100	4000	3500	20000	46500	42000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	श्रेणी	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	राजस्व ग्राम/मौहल्लों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
				कृषि भूमि दर (₹लाख प्रति हेक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ट	भगवानपुर— सिकरोढा मार्ग	1-अकबरपुर कालसो	90	3500	3200	18500	45000	41000	14000	12000
			2-हल्लूमजरा	90	3500	3200	18500	45000	41000	14000	12000
			3-मानक मजरा	90	3500	3200	18500	45000	41000	14000	12000
			4-खेड़ली	90	3500	3200	18500	45000	41000	14000	12000
			5-सिकरोढा	90	3500	3200	18500	45000	41000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

तहसील भगवानपुर के नगर पंचायत अन्तर्गत क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र. सं.	श्रेणी	राजस्व ग्राम/मौहल्लो का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (₹लाख प्रति हैक्टेयर)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	1-भगवानपुर मैन बाजार	-	17500	32000	88000	73000	14000	12000
2	ख	1-शाहपुर मुस्तहकम	600	15000	30000	88000	73000	14000	12000
		2-भगवानपुर मुस्तहकम	660	15000	30000	88000	73000	14000	12000
3	ग	1-मकखनपुर महमूद आलम मुस्तहकम	310	9500	24000	55000	47000	14000	12000
4	घ	1-खानपुर	300	7500	22000	53000	47000	14000	12000
5	ङ	1-मकखनपुर महमूद आलम जदीद मुस्तहकम	160	6000	20000	50000	44000	14000	12000
		2-भगवानपुर जदीद मु0	160	6000	20000	50000	44000	14000	12000
		3-शाहपुर जदीद मु0	200	6000	20000	50000	44000	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

तहसील भगवानपुर के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी	अर्द्धनगरीय क्षेत्र के मोहल्ले / राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹ लाख में)	अकृषि भूमि (₹ प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹ प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान / रैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	1-मंडावर	170	8000	22000	62000	50500	14000	12000
		2-सिसौना मुस्तहकम	170	8000	22000	62000	50500	14000	12000
		3-चौल्ली शाहबुददीनपुर मु०	170	8000	22000	62000	50500	14000	12000
		4-लकेशरी	170	8000	22000	62000	50500	14000	12000
		5-लतीफपुर खुब्बनपुर	170	8000	22000	62000	50500	14000	12000
		6-सिकन्दरपुर भैंसवाल	170	8000	22000	62000	50500	14000	12000
		7-रायपुर	170	8000	22000	62000	50500	14000	12000
2	ख	1-औरंगजेबपुर	120	6000	20500	56500	50500	14000	12000
		2-छाप्पुर शेर अफगनपुर	120	6000	20500	56500	50500	14000	12000
		3-खेलपुर नसरुल्लापुर	120	6000	20500	56500	50500	14000	12000
		4-लाब्बा मुस्तहकम	120	6000	20500	56500	50500	14000	12000
3	ग	1-बेहेडेकी सैदाबाद	80	3500	18000	48000	42500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

तहसील भगवानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के मोहल्ले/ राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	1-सिसौना जदीद मु०	100	5000	19500	44500	37000	14000	12000
		2-भगवानपुर जदीद मु०	100	5000	19500	44500	37000	14000	12000
		3-शाहपुर जदीद मु०	100	5000	19500	44500	37000	14000	12000
		4-लोदीवाला	100	5000	19500	44500	37000	14000	12000
		5-कांजीबास मु०	100	5000	19500	44500	37000	14000	12000
		6-तेज्जपुर	100	5000	19500	44500	37000	14000	12000
2	ख	1-चुडियाला मोहनपुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		2-कुंजा बहादरपुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		3-फक्करहेडी	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		4-मोलना	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		5-बिन्दूखडक	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		6-खजूरी	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		7-मानकपुर आदमपुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		8-भलस्वागाज	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के मोहल्ले/ राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ख	9-मोहितपुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		10-कादरपुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		11-सरठेडी शाहजहांपुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		12-रूहालकी दयालपुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		13-सिरचन्दी	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		14-सुनेहटी आलापुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		15-अमरपुर काजी	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		16-शेरपुर	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		17-बिनारसी उर्फ बुलेड	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		18-महेश्वरी	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		19-मुकर्म्मपुर उर्फ कालेवाला	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		20-लालवाला मजबता	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		21-मजाहिदपुर सत्तीवाला खालसा	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		22-शहीदवाला ग्रन्ट	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		23-बन्जारेवाला ग्रन्ट	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		24-हसनावाला ग्रन्ट	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		25-खेडी शिकोहपुर मुस्तहकम	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के मोहल्ले/ राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ख	26-मजाहिदपुर सत्तीवाला मजबता	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		27-फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		28-नौकराग्रन्ट	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		29-दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद	80	3000	18000	40000	33500	14000	12000
3	ग	1-बढेडी बुजुर्ग	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		2-धीरमजरा अहतमाल	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		3-पट्टी डाडा	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		4-जलालपुर डाडा	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		5-अहमदपुर खेडी	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		6-हसनपुर मदनपुर मुस्तहकम	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		7-हकीमपुर तुरा	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		8-कलालहटी	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		9-अकबरपुर कालसो	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		10-अलावलपुर	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		11-झिडियान ग्रन्ट	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		12-फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		13-बिरसंगपुर	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के मोहल्ले/ राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ग	14-बालेकी युसुफपुर	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		15-छछरोली	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		16-बाल्लूपुर	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		17-हरचन्दपुर माजरा	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		18-दरियापुर दयालपुर अहतमाल	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		19-रोलाहेडी	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		20-हबीबपुर निवादा	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		21-सिकरोढा-प्रथम	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		22-सिकरोढा-द्वितीय	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		23-लामग्रन्ट	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		24-लालवाला खालसा	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		25-बहबलपुर हंसोवाला	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		26-दरियापुर दयालपुर मुस्तहकम	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		27-बहावपुर छांगामजरी	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		28-शाहपुर मुस्तहकम (खसरा नं. 01 से 54 तक)	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		29-इब्राहिमपुर मसाही	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		30-कुतुबपुर ग्रन्ट	50	3000	18000	40000	33500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र के मोहल्ले/ राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	घ	1-गी मौहम्मदपुर सईदपुर मुस्तहकम	45	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		2-अलीपुर खतौला	45	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		3-प्रेमराजपुर	45	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		4-डाडली	45	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		5-मानक मजरा	45	3000	18000	40000	33500	14000	12000
5	ड	1-खेडी शिकोहपुर जदीद मुस्तहकम	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		2-कांजीबास जदीद मुस्तहकम	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		3-लाब्बा जदीद मुस्तहकम	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		4-खुब्बनपुर लतीफपुर जदीद मुस्तहकम	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		5-पलूनी	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		6-नागल	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		7-धीरमजरा अहतमाल	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		8-हसनपुर मदनपुर अहतमाल	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		9-चौल्ली शाहबुददीनपुर जदीद मुस्तहकम	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		10-गी मौहम्मदपुर सईदपुर जदीद मुस्तहकम	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		11-मक्खनपुर महमूद आलम जदीद मुस्तहकम	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		12-हल्लूमजरा	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000
		13-खेडली	40	3000	18000	40000	33500	14000	12000

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

:सामान्य अनुदेशिका:

(यह मूल्यांकन सूची का भाग है)

(A)	कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी सामान्य निर्देश:-
1-	यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि- (क)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 05 मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ख)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ग)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (घ)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2-	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीयतल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
3-	ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर की दर के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 गुना दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
4-	व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत जोड़ कर आकलित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी। परन्तु एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि शॉपिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से होगा।
5-	1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

6-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
7-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर की 200 मीटर दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित दरें लागू होंगी।
8-	कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुना होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
9-	किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
10-	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
11-	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृता प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख में भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किये जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध में श्रेणी लिन्टरपोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। औद्योगिक निर्माण पर टीनपोश निर्माण की दरें प्रभावी होंगी।
12-	फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
13-	भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
14-	वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।
15-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

16-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर ₹1,500/- प्रति रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
17-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन ₹25,000/- प्रति की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
18-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
19-	सूची में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने पर भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र विशेष की अकृषि दर से किया जायेगा।
20-	किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
21-	विलेखों में निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-
(B)	(क)-किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
	(ख)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के संबंध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ग)-विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
	(घ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ङ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/ बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(च)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़को/मार्ग-मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(छ)-मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।
	(ज)-पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो कि विलेख का भाग होगा।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

(C) 1-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
2-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी हैं तो समीपस्थ स्थल (जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जायेगा) हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
3-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।

क्षरण सारणी

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),
हरिद्वार।